संख्याः 500/XXIV-3/11/02(30)2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, देहरादून, दिनांकः 31 मार्च, 2011

विषयः– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टी.एस.पी.) के अन्तर्गत रा.उ.मा.वि. आमथल, पिथौरागढ़ के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख2/96301/टी.एस.पी./2010–11 दिनांकः 17 मार्च, 2011 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमथल, पिथौरागढ़ के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, पिथौरागढ द्वारा गठित आगणन की औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 78.03 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 59.44 लाख (रूपये उनसठ लाख चौवालीस हजार मात्र) स्वीकृत करते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं।

1. उपर्युक्त विद्यालय के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा. उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0 475/XXVII(7)/2008 दि0 15.12.08 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाय. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यय हो सकने वाली धनराशि का ही आहरण किया जायेगा।

2. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी.

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक से व्यय कदापि न किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाय।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

10. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के अधीन लेखाशीर्षक 4202– शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01– सामान्य शिक्षा, 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 03– माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्रों में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा तथा उक्त के कालम–1 की बचतों से बहन किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः1028(P)/XXVII(3) 2010–11 दिनांकः 30मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्याः 500(1)/XXIV-3/11/02(30)/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला,देहरादून।
8– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
9– कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
11– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
12– वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अन् सचिव।

प्रपत्र–बी0एम0–15

(पैरा–156)

नियत्रंक अधिकारी–सचिव, विद्यालयी शिक्षा
प्रशासकीय विभाग–माध्यमिक शिक्षा
वित्तीय वर्ष 2010–11

अनुदान संख्या–31 आयोजनागत धनराशि (हजार र में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानितव्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ 1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				4202– शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			स्तम्भ–5 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में प्राविधानित धनराशि रू0 5000 हजार के सापेक्ष अद्यतन रू0 4213 हजार की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा रू0 787 हजार की धनराशि स्वीकृति हेतु अवशेष है. उक्त योजनान्तर्गत रा0उ0मा0वि0 आमथल, पिथौरागढ़ के भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रू0 5944 हजार की धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया जा रहा है.
				01–सामान्य शिक्षा			
796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
01–ट्राईबल विकासखण्डों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिकलरों का निर्माण				03–माध्यमिक विद्यालयों के भवन का निर्माण/ जीर्णोद्धार			
25– लघु निर्माण कार्य 5000	0	0	5000			0	
4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,				24–वृहत निर्माण कार्य 5157	5944		
796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना							
03– जनजाति क्षेत्र हेतु गूल हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण							
25– लघु निर्माण कार्य 3000	2843	0	157			0	
सम्पूर्ण योगः 8000	2843	0	5157	सम्पूर्ण योगः 5157	5944	0	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैन्युवल के परिच्छेद 150, 151,155,,156 का उलघंन नहीं होता है।

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
1028 (1) वित्त अनुभाग–3
संख्याः वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2011
देहरादून, दिनांकः 30 मार्च, 2011

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(पी0सी0 जंगपांगी)
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 500(1)/XXIV-3/11/02(30)2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2– समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0 तिवारी)
अनु सचिव।